उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार– 249404

संख्याः 333 /20/डी0आर0/डिग्री/सेवा–2/2011–12 दिनांक : 15 मार्च, 2023

चयन परिणाम हेतु विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास) के रिक्त 09 पदों पर दिनांक 13, 14 एवं 15 जनवरी, 2014 को सम्पन्न साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर 08 पदों का चयन परिणाम दिनांक 26 जनू, 2014 को घोषित किया गया था। उक्त चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका सं0– 372(एस0/बी0)/2013 डॉ0 कु0 निशा बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अन्य तथा रिट याचिका सं0– 373(एस0/बी0)/2013 नूर हसन बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन घोषित किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 372(एस0/बी0)/2013 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2013 के क्रम में अभ्यर्थी कु0 निशा (अनुक्रमांक– 054) का चयन परिणाम मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रखते हुए उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित 01 पद का परिणाम सील्ड बन्द लिफाफे में रखा गया था।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं0–373(एस0/बी0)/2013 नूर हसन बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अन्य एवं रिट याचिका सं0–372(एस0/बी0)/2013 डॉ0 कु0 निशा बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अन्य को क्रमशः दिनांक 14.07.2014 एवं दिनांक 07.08.2019 को खारिज कर दिया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी कु0 निशा (अनुक्रमांक 054) एवं नूर हसन (अनुक्रमांक 125) का असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास) पद हेतु अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो गया है।

अतः दिनांक 28 फरवरी, 2023 को आयोग की बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित 01 पद हेतु सील्ड लिफाफे में रखे गये चयन परिणाम (दिनांक 26 जून, 2014) तथा समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के मूल अंकतालिका का लिफाफा खोला गया। जिनके अवलोकनोपरान्त यह पाया गया कि उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित उक्त 01 पद के सापेक्ष प्रवीणता/योग्यता क्रम में कोई भी उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। अतः उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित 01 पद को अग्रेनीत किया गया है।

-Sd-

(गिरधारी सिंह रावत)

सचिव।